13 लाख रूपये का अवैध मादक पदार्थ पकड़ा, दो तस्कर गिरफ्तार

अवैध अफीम का दूध जब्त, तस्करी के परिवहन में प्रयुक्त वाहन कार जब्त की

ब्यावर, (निसं)। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ सहित दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के कब्जे से 13 लाख रूपये का 8.600 किलो अवैध अफीम का दूध जब्त किया है। वहीं अवैध मादक पदार्थ तस्करी के परिवहन में प्रयुक्त वाहन कार जब्त की है।

जानकारी के अनुसार मेवाड़ से मारवाड़ लाई जा रही अवैध मादक पदार्थ अफीम के दूध की खैप को पुलिस ने ज़ब्त किया है। जिला पुलिस अधीक्षक ब्यावर के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व वृत्ताधिकारी के निकट सुपरविजन में जिला स्पेशल टीम व थानाधिकारी पुलिस थाना साकेतनगर मय टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्कारों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करते हुए दो तस्कारों के कब्जे से 8.600 किलोग्राम अवैध अफीम का दूध जब्त कर परिवहन में प्रयुक्त वाहन कार जब्त की है। शुक्रवार को जिला स्पेशल टीम को सूचना मिली की एक सफेद कार जो बिजयनगर की तरफ से आ रही है जिसमें भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ भरा हो सकता है। जिस पर जिला स्पेशल टीम व थानाधिकारी पुलिस थाना साकेत नगर मय टीम द्वारा बिजयनगर पुलिया के नीचे नाकाबन्दी शुरू की तो कुछ ही समय में एक सफेद कलर की कार आई जिसको पुलिस टीम द्वारा रोकने को ईशारा करने पर कार चालक ने पुलिस नाकाबंदी को तोड़ कर कार को भगा लिया, जिसका पुलिस टीम द्वारा करीब 15 किलोमीटर पीछा कर कार को रूकवाया जाकर चैक किया तो वाहन में दो व्यक्ति सवार मिले जिनसे वाहन को नाकाबंदी तोड़ कर वाहन को भगाने का कारण पूछने पर कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं देने पर वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में अवैध मादक पदार्थ अफीम का दूध मिला। जिसको जब्त कर दोनों तस्कारों मुकेश पुत्र पुखाराम सिरवी निवासी चाटेलाव पुलिस थाना जैतपुर जिला पाली, श्यामलाल पुत्र खुमाराम सिरवी निवासी चाटेलाव पुलिस थाना जैतपुर जिला पाली को गिरफ्तार किया जाकर परिवहन में प्रयुक्त वाहन को जब्त कर लिया।

पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ सहित दो तस्करों को गिरफ्तार किया।

कोर्ट ने थाना ब्यावर शहर द्वारा प्रस्तुत एफआर अस्वीकार की

- चैक अनादरण के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 3 का ऐतिहासिक फैसला
- अब चैक अनादरण के मुकदमे के साथ धारा 420 भा.द.स. का मुकदमा भी चलेगा

ब्यावर, (निसं)। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 3 ने पुलिस थाना ब्यावर सिटी की एफआर को अस्वीकार कर दिया है। मामले में आरोपी के विरूद्ध प्रसंज्ञान लेकर तलब किया है। इस प्रकरण में पुलिस द्वारा प्रकरण को सिविल नेचर का बताते हुए न्यायालय में एफआर पेश कर दी थी।

जिस पर परिवादी संजय कुमार बुरड़ ने अपने अधिवक्ता नीलेश बुरड़ के जरिये न्यायालय में विरोध याचिका प्रस्तुत की व पुलिस द्वारा प्रस्तुत एफआर को अस्वीकार करने के संबंध में अपने तर्कों, दलीलों व सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक दृष्टांतों को प्रस्तुत किया। जिससे सहमत होते हुए न्यायालय ने रानी निवासी अभियुक्त राकेश कुमार जैन पुत्र हस्तीमल, निवासी हींगड मौहल्ला, न्याती नोहरे के सामने, मैन बाजार, रानी जिला पाली के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया। अब अभियुक्त के विरूद्ध चैक अनादरण के अतिरिक्त उसी चैक को लेकर एक और फौजदारी कार्यवाही अन्तर्गत धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता भी चलेगी।

प्रकरण में परिवादी संजय कुमार बुरड एवं अभियुक्त राकेश कुमार जैन एक ही समाज के व्यक्ति होने एवं एक ही तरह का व्यापार होने से एक दूसरे से परिचित थे।

अभियुक्त ने अपनी निजी एवं घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रूपयों की आवश्यकता होने पर परिवादी से 3,00,000 रूपये नकद उधार प्राप्त किये। उक्त उधार ली गई राशि के पुनर्भुगतान स्वरूप अभियुक्त द्वारा अपना हस्ताक्षर युक्त एक चैक परिवादी के पक्ष में यह विश्वास एवं भरोसा दिलाया जाकर जारी करके दिया गया कि उपरोक्त चैक से संबंधित देय राशि का भुगतान चैक की देय तिथि को या उसके पश्चात भुगतान की प्राप्ति के लिये संबंधित बैंक के समक्ष प्रस्तुत करने पर हर सूरत में अदा कर दिया जायेगा। तत्पश्चात उक्त चैक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत करने पर चेक अनादरित हो गया।

जिस पर परिवादी ने 138 एनआई एक्ट के तहत नोटिस देकर कोर्ट मे प्रकरण दर्ज करवाया, जो कि वर्तमान में न्यायालय में चल रहा है। इसके साथ ही परिवादी ने अपने अधिवक्ता नीलेश बुरड़ के माध्यम से अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में एक इस्तगासा और प्रस्तुत किया।

जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई जो कि बाद जांच पुलिस ने सिविल नेचर का मानते हुए एफआर लगा दी। जिस पर पीड़ित परिवादी ने न्यायालय के समक्ष विरोध याचिका प्रस्तुत की। जिसमें परिवादी अधिवक्ता के तर्कों व दलीलों से सहमत होते हुए न्यायालय ने विरोध याचिका को स्वीकार करते हुए पुलिस द्वारा प्रस्तुत एफआर को अस्वीकार कर दिया।

वीजा का झांसा देकर 29.50 लाख की ठगी, मामला दर्ज

- परिवादी आस्ट्रेलिया जाने के लिए 70 दिन तक वियतनाम में भटकता रहा

श्रीगंगानगर, (निसं)। पुरानी आबादी थाने में बुधवार को एक युवक ने विदेश भेजने के नाम पर 29.50 लाख की ठगी का केस दर्ज करवाया है। परिवादी आस्ट्रेलिया जाने के लिए 70 दिन तक वियतनाम में भटकता रहा।

कोढियावाली पुली निवासी लवप्रीत सिंह ने बताया कि पुरानी आबादी निवासी तरणवीर सिंह, अमृतसर निवासी सुखविंद्र सिंह उर्फ लाडी, पंथ ओवरसीज अमृतसर की संचालक गुरप्रीत कौर और अमनवीर सिंह व जालंधर निवासी सोनू सिंह ने विदेश भेजने का झांसा देकर ठगी की। लवप्रीत ने बताया कि उसने 12वीं क्लास के बाद न्यूजीलैंड जाने की योजना बनाई थी। एक इमीग्रेशन सेंटर के जरिए आवेदन किया लेकिन वीजा नहीं मिला। इसी सेंटर पर तरणवीर से संपर्क हुआ। तरणवीर ने 24 अक्टूबर 2023 को अमृतसर के पंथ ओवरसीज इमीग्रेशन के संचालक गुरप्रीत कौर व अमनवीर से उसकी बात करवाई। आरोपियों ने पहले न्यूजीलैंड भेजने की बात कही। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की राशि ली गई। बाद में कहा गया कि न्यूजीलैंड का आवेदन रिजेक्ट हो गया है। इसके बाद तरणवीर सिंह ने आस्ट्रेलिया का वर्क व हॉलीडे वीजा दिलवाने का झांसा दिया।

तरणवीर ने बताया कि इसके लिए दो बार तीन-तीन लाख रुपए लिए गए। इसके बाद 23 लाख रुपए की मांग की गई। तरणवीर व उसके परिजनों ने यह राशि जालंधर में सोनू सिंह के ऑफिस में जमा करवा दिए। ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनी के साथ डिलीवरी का काम करने वाले व्यक्ति ने अपने कांट्रेक्ट के आखिरी सप्ताह में 22.26 लाख की ठगी कर डाली। अब कंपनी की ओर से फर्म के संचालक के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। आरोपी राजेंद्र कुमार निवासी ड्रीम्स होम्स के खिलाफ सदर थाना में केस दर्ज किया गया। ई कॉमर्स कंपनी की सहायक कंपनी के प्रतिनिधि चंद्रप्रकाश सिंह ने पुलिस को बताया कि राजेंद्र कुमार बतौर सेवा प्रदाता जुड़ा था।

1 अप्रैल 2024 से राजेंद्र कुमार कंपनी के साथ काम करने लगा। कंपनी ने कैश ऑन डिलीवरी मॉडल के तहत ग्राहकों के पास पैकेज पहुंचाने की जिम्मेदारी दी थी। इन्हीं कैश ऑन डिलीवरी पैकेज की पेमेंट जमा न करवाने पर केस दर्ज हुआ है। कंपनी और राजेंद्र कुमार के बीच करार 31 मार्च 2025 को समाप्त होना था। प्रतिनिधि ने बताया कि मार्च 2025 के आखिरी सप्ताह में राजेंद्र कुमार को कुल 708 पैकेज सौंपे गए। इनकी डिलीवरी पर 2225896 की राशि इकट्ठी हुई। कंपनी पॉलिसी के अनुसार नकद राशि अगने दिन कंपनी या उसके कैश कलेक्शन पार्टनर को सौंपी जानी थी। आरोप है कि राजेंद्र ने यह राशि जमा नहीं करवाई और बहाने बनाकर कंपनी प्रतिनिधि को टालता रहा।

लवप्रीत ने बताया कि उसे जल्द वीजा आने का झांसा दिया गया। इसके लिए वह 10 दिन तक दिल्ली में बैठा रहा। दो बार एयरपोर्ट तक बुलाकर वापिस लौटा दिया। इसके बाद कहा गया कि पहले वियतनाम जाना होगा। वहां सुखविंद्र सिंह नामक व्यक्ति आगे आस्ट्रेलिया जाने की व्यवस्था करेगा। 31 दिसंबर 2024 को लवप्रीत वियतनाम चला गया। सुखविंद्र सिंह को फोन लगाया तो उसने एक होटल का कार्ड भेजकर रुकने के लिए कहा। लवप्रीत ने बताया कि होटल में 8-10 लड़के आस्ट्रेलिया जाने की आस में रुके हुए थे। परिवादी ने बताया कि तरणवीर, गुरप्रीत, अमनवीर और सुखविंद्र सिंह उसे झूठा आश्वासन देते रहे और 70 दिन तक वह वियतनाम में ही रहा। 10 मार्च 2025 को वापिस लौट आया। इसके बाद कई बार पंचायती हुई लेकिन आरोपी राशि वापिस करने के आश्वासन ही देते रहे। अब इन लोगों ने विदेश भेजने या राशि वापिस करने से स्पष्ट इंकार कर दिया है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की है।

चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर की पत्नी प्रीति कुमारी का हुआ अंतिम संस्कार

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंत्येष्टि में शामिल हुए, शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया

नागौर, (निसं)। राज्य सरकार के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की पत्नी प्रीति कुमारी का गमगीन माहौल में शुक्रवार को अंतिम संस्कार हुआ। बेटे धनंजय सिंह खींवसर ने मुखाग्नि दी। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि अंतिम संस्कार में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शोक संतप्त परिजनों को संबल प्रदान करने और इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की।

- गमगीन माहौल में बेटे धनंजय सिंह ने मुखाग्नि दी

इससे पहले खींवसर फोर्ट में प्रीति कुमारी की पार्थिव देह अटल भवन के सामने सुबह नौ बजे अंतिम दर्शनों के लिए रखी गई। बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे। सुबह 10 बजे प्रीति कुमारी की अंतिम यात्रा खींवसर फोर्ट स्थित निवास से रवाना होकर पांचला सिद्धा रोड, शिव चौक, गणेश चौक, शनि चौक, सदर बाजार, बस स्टैंड होते हुए पदमसर चौराहा स्थित मोक्षधाम पहुंची, जहां उनके बेटे धनंजय सिंह खींवसर ने मुखाग्नि दी। प्रीति कुमारी का गुरुवार तड़के निधन हो गया था। खींवसर के व्यापारी और दुकानदारों ने प्रीति कुमारी के निधन पर गुरुवार सुबह से ही बाजार बंद रखे, वहीं शुक्रवार को भी दुकानें नहीं खोली।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रीति कुमारी की अंत्येष्टि में शामिल होकर पार्थिव देह के अंतिम दर्शन किए।

जानकारी के अनुसार खींवसर के पूर्व राजपरिवार की बहू प्रीति कुमारी का 64 साल की आयु में जयपुर स्थित आवास पर साइलेंट अटैक से बुधवार देर रात निधन हो गया था। गुजरात में गाफ के पूर्व राजघराने की बेटी प्रीति कुमारी का जन्म 4 जनवरी 1961 हुआ था। प्रीति कुमारी की शादी 25 फरवरी 1982 को खींवसर के पूर्व राजपरिवार के बेटे गजेंद्र सिंह के साथ हुई थी। गजेंद्र सिंह वर्तमान में राजस्थान के चिकित्सा मंत्री हैं। दिवंगत प्रीति कुमारी के दो बच्चे, बेटा धनंजय सिंह और बेटी उर्वशी कुमारी सिंह हैं। धनंजय सिंह फिलहाल जोधपुर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं और खींवसर फाउंडेशन को बतौर संस्थापक संभाल रहे हैं। उर्वशी कुमारी सिंह हिमाचल प्रदेश में एक हिल स्टेशन पर होटल व्यवसाय संभालती हैं। धनंजय सिंह की पत्नी मृगेशा सिंह और उनके तीन बच्चे हैं।

इन पूर्व राजघरानों से विशेष जुड़ाव :- खींवसर का पूर्व राजपरिवार का विशेष रूप से जोधपुर के पूर्व राजघराने से अहम जुड़ाव है। इसके अलावा बीकानेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, झालावाड़, मप्र के ग्वालियर, उप्र के झांसी और गुजरात के राजकोट व गाफ के पूर्व राजपरिवारों से भी करीबी जुड़ाव है। प्रीति कुमारी के निधन की सूचना मिलते ही जोधपुर के पूर्व राजघराने की हेमलता राजे और बीकानेर के पूर्व राजघराने से सिद्धि कुमारी खींवसर पहुंच गई थी।

सीएम भजनलाल शर्मा अंतिम संस्कार में हुए शामिल :- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को खींवसर (नागौर) में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की पत्नी प्रीति कुमारी की अंत्येष्टि में शामिल हुए और शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने खींवसर में मोक्षधाम पहुंच कर प्रीति कुमारी की पार्थिव देह के अंतिम दर्शन किए और पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पीएचईडी मंत्री व नागौर जिला प्रभारी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, कृषि राज्यमंत्री केके विश्नोई, देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह, आरपीएससी सदस्य केसरी सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्रसिंह राठौड़ और अरुण चतुर्वेदी, डीडवाना विधायक यूनुस खान, खींवसर विधायक रेवंतराम डांगा, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू, सिकराय विधायक विक्रम बंसीवाल, किसान आयोग अध्यक्ष सीआर चौधरी, आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निंबाराम, कोलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और हजारों की संख्या में क्षेत्रवासी अंत्येष्टि में शामिल हुए।

पाली कारागृह का निरीक्षण

- भोजन, चिकित्सीय सुविधा, पेयजल, सफाई व्यवस्था की जानकारी ली

पाली, (नि.सं.)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार ऋचा चौधरी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पाली द्वारा आज जिला कारागृह, पाली का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 100 बन्दी जिला कारागृह, पाली में निरूद्ध मिले। निरीक्षण के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पाली द्वारा बन्दीगण से वार्तालाप कर कारागृह में भोजन, चिकित्सीय सुविधा, पेयजल, सफाई व्यवस्था इत्यादि के संबंध में जानकारी ली गई। इसके अतिरिक्त कोई भी बन्दी निजी अधिवक्ता करने में असमर्थ हो अथवा विधिक सहायता के अभाव में बिना अधिवक्ता के कारागृह में निरूद्ध ना रहे, इस को लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पाली द्वारा कारागृह में बन्दीगण को नि:शुल्क विधिक सहायता की जानकारी देते हुए ऐसे बन्दी जिनकी जमानत होने के उपरांत भी कारागृह में निरूद्ध हो इस संबंध में भी जानकारी ली गई तथा बंदियों को उनके प्रकरणों की स्थिति के बारे में बताया।

साथ ही इस बात की भी जानकारी ली गई कि 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति जिला कारागृह में निरूद्ध न रहे। सभी बन्दी की ओपीडी के समय में स्वास्थ्य जांच की जाती है तथा इमरजेन्सी होने पर बन्दीगण को राजकीय बांगड़ अस्पताल पाली रेफर किया जाता है। इस अवसर पर निरीक्षण में जोराराम कारापाल जिला कारागृह पाली, डॉ. जसाराम चिकित्सक जेल डिस्पेंसरी पाली, जेल विजिटिंग लॉयर वैशाली व्यास, अल्ताफ हुसैन आदि उपस्थित रहे।

उपचार करवाने गई महिला के साथ डॉक्टर ने अभद्रता की

पाली, (निसं)। पाली जिला कांग्रेस की महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष रेखा परिहार के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोपी डॉक्टर रमेशचंद्र को सीएमएचओ डॉक्टर विकास मारवाल ने एक आदेश जारी कर शुक्रवार को एपीओ किया।

जानकारी के अनुसार कांग्रेस की पूर्व महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रेखा परिहार को बीपी की तकलीफ हुई तो वह अपने भाई और अन्य रिश्तेदार के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बूसी में गुरुवार रात को पहुंची, जहां कार्यरत डॉ. रमेश चन्द्र, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी और नर्सिंगकर्मी ने अभद्र व्यवहार और गाली-गलौच की और इलाज नहीं किया। इसको लेकर वीडियो भी सामने आया। रात को रानी थाना पुलिस की बुलाया गया और उनकी गाड़ी दिलवाई गई तब जाकर वे इलाज के लिए पाली पहुंचे। पाली के बांगड़ हॉस्पिटल में पूर्व जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा कांग्रेस रेखा परिहार का इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलने पर कांग्रेस नेता चुन्नीलाल चाड़वास, महबूब टी आदि पहुंचे और मामले में शुक्रवार को जिला कलेक्टर मंत्री को ज्ञापन सौंपा और दोषी डॉक्टर और नर्सिंगकर्मी के खिलाफ करवाई को लेकर ज्ञापन दिया। इस मौके बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे।

मामले में सीएमएचओ डॉ विकास मारवाल ने शुक्रवार को एक आदेश जारी किया। जिसमें डॉ. रमेश चन्द्र, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बूसी को 5 जून की रात्रि में महिला मरीज व उनके परिजनों के साथ किए गए गाली-गलौच, अभद्र व्यवहार को लेकर आदेशों की प्रतिक्षा किया जाकर उनका मुख्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन जोधपुर कार्यालय किया है। डॉ. रोहिताश बाहरठ, चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बूसी को अग्रिम आदेशों तक चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वा. केन्द्र, बूसी का दायित्व दिया।

नोटिस जारी

अजमेर, (कासं)। गिवअप अभियान के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी द्वितीय नीरज जैन के द्वारा 458 व्यक्तियों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। जैन ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना की पात्रता खो चुके 3696 परिवारों के 13892 सदस्यों ने सरकार की प्रस्तावित कार्यवाही के डर से स्वेच्छा से अपने नाम हटवा लिए हैं। कोई परिवार पात्रता नहीं रखने के बावजूद खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेता है तो उस पर विभाग कार्यवाही के साथ बाजार दर के हिसाब से वसूली की जाएगी।

आरपीएससी : बिना योग्यता आवेदन किया है तो परीक्षाओं से डिबार हो सकते हैं अभ्यर्थी

- आयोग द्वारा डिबार किए गए अभ्यर्थियों की सूचना अन्य सरकारी भर्ती एजेंसियों के साथ भी साझा की जाती है

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बिना वांछित योग्यता व अनुभव के आवेदन करने पर आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं से डिबार किया जा सकता है। आयोग द्वारा डिबार किए गए अभ्यर्थियों की सूचना अन्य सरकारी भर्ती एजेंसियों के साथ भी साझा की जाती है। इस कारण ऐसे अभ्यर्थी उन परीक्षाओं से भी वंचित हो सकते हैं, जिसके लिए वे वास्तव में पात्र हैं। हालांकि अभ्यर्थियों के हितार्थ आयोग द्वारा आवेदन विदड्रा करने का अवसर अभ्यर्थियों को वर्तमान में दिया जा रहा है। इस पर भी अनेक अपात्र आवेदकों द्वारा लापरवाही बरतते हुए आवेदन विदड्रा नहीं किए जा रहे हैं। निर्धारित अवधि में आवेदन विदड्रा न करने पर अपात्र आवेदको के विरूद्ध डिबार के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 217 के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा माह अक्टूबर 2024 मे भी असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत कॉलेज एजुकेशन) परीक्षा- 2024 अन्तर्गत ऐसे ही 14 अभ्यर्थियों के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-संख्या 3, अजमेर में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 217 में परिवाद प्रस्तुत किया हुआ है।

आईटी शाखा द्वारा विशेष सॉफ्टवेयर एवं एआई तकनीक से आवेदनों की जांच :- आयोग की आईटी शाखा द्वारा विभिन्न भर्तियों के तहत प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की रेंडम जांच निरंतर की जा रही है। इसके लिए विभिन्न नवाचारों के साथ विशेष सॉफ्टवेयर एवं एआई तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। उक्त भर्तियों में प्राप्त आवेदनों की रैंडम/सेम्पल जांच में यह पाया गया कि अनेक आवेदकों के पास अनिवार्य योग्यता व अनुभव नहीं होने के उपरांत भी उनके द्वारा आवेदन किया गया है।

आवेदनों की जांच दौरान यह सामने आया कि अपात्र अभ्यर्थियों द्वारा अनर्गल रूप से विभिन्न भर्तियों में आवेदन किए गए हैं। इनमें से कई अभ्यर्थियों द्वारा 3-4 भर्तियों जिनकी वांछित शैक्षणिक योग्यता पूरी तरह भिन्न- भिन्न है, उनमें भी आवेदन किए गए हैं। ऐसे ही अभ्यर्थी जसवंत गरासिया पुत्र स्व. कामजी गरासिया निवासी ग्राम गराडिया, वार्ड नं. 4 पोस्ट महूडी वाया कालिंजरा तहसील सज्जनगढ़, बांसवाड़ा तथा खैलेन्द्र प्रसाद पुत्र रघुनाथ प्रसाद निवासी शीतला माता मंदिर के पास, रैगर मौहल्ला, सांभर लेक, जयपुर का प्रकरण भी आयोग द्वारा पकड़ा गया है। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं अन्तर्गत जारी की गई अपात्र अभ्यर्थियों की सैंपल सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

जसवंत गरासिया की शैक्षणिक योग्यता बीए है। इसके बाद भी इनके द्वारा सहायक निदेशक (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग) भर्ती-2024 तक में ऑनलाइन आवेदन किया गया है, जबकि इस पद के लिए विज्ञापन अनुसार अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता "फर्स्ट क्लॉस डिग्री इन नेचुरल ऑर एग्रीकल्चर साइंस अथवा फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग ऑर टेक्नोलॉजी अथवा फर्स्ट क्लास एमएससी/एमटेक (विथ ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस एंड इंजीनियरिंग) इन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑर इक्विलेंट तथा रिसर्च एंड डेवलपमेंट/इंडस्ट्रियल/एकेडमिक इंस्टीट्यूशन/साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर्गेनाइजेशन में 2 वर्ष का स्पेशलाइज्ड अनुभव" वांछित है। इनके द्वारा असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर, जूनियर केमिस्ट के लिए भी ऑनलाइन आवेदन किया गया है।

एक अन्य आवेदक खैलेन्द्र प्रसाद की शैक्षणिक योग्यता बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है। इसके बावजूद उन्होंने सहायक परीक्षण अधिकारी के पद जिसकी अनिवार्य योग्यता "एमएससी इन जियोलॉजी ऑर एमएससी इन केमिस्ट्री तथा 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग ऑफ सोइल/एग्रीगेट्स इत्यादि इन केस ऑफ-आइदर एमएससी जियोलॉजी और एमएससी केमिस्ट्री" है तथा जूनियर केमिस्ट के पद जिसकी अनिवार्य योग्यता "एमएससी इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर एनालिटिकल केमिस्ट्री तथा 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वॉटर एंड सिलिकेट एनालिसिस" है के लिए अपात्र होते हुए भी आवेदन किया गया है।

आयोग सचिव ने वास्तविकता जानने के लिए जब जसवंत गरासिया से आवेदन में दिए फोन नंबर पर संपर्क किया तो अभ्यर्थी ने स्वयं की शैक्षणिक योग्यता बीए ही बताई और ऑनलाइन आवेदन के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर करते हुए टालमटोल करने लगा। ऐसे ही एक अन्य प्रकरण में एक अभ्यर्थी ने मात्र चतुर्थ श्रेणी भर्ती में ऑनलाइन आवेदन किए जाने एवं आयोग में उसके द्वारा किए गए अन्य आवेदनों के संबंध में जानकारी तक नहीं होने का हवाला दिया। हालांकि भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आवेदक को स्वयं की एसएसओ आइडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर ही करने होते हैं। आवेदन फाइनल सबमिट करने से पूर्व भी ओटीपी के माध्यम से प्रतिपुष्टि की जाती है।

एनसीटीई ने बीकानेर के सरकारी बीएड कॉलेज की मान्यता समाप्त की

बीकानेर, (निसं)। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने बीकानेर के सरकारी बीएड कॉलेज की मान्यता समाप्त कर दी है। एमएड पाठ्यक्रम के साथ-साथ अब इस साल बीएड कोर्स में भी दाखिले नहीं होंगे। एनसीटीई की अपील समिति ने शिक्षा विभाग की अपील को खारिज करते हुए वेस्टर्न रीजनल कमेटी (डब्ल्यूआरसी) के मान्यता वापसी के निर्णय को उचित ठहराया है। दोनों सरकारी बीएड कॉलेज में दो वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम की 150-150 सीटें स्वीकृत हैं। जबकि एमएड पाठ्यक्रम में 50-50 सीटें निर्धारित हैं।

दोनों अपील आदेशों में अपीलों को खारिज करने का जो आधार बताया गया है उसके तहत बीएड व एमएड दोनों ही पाठयक्रमों के लिए जो शिक्षक हैं वे स्कूल के शिक्षक हैं जिन्हें सीमित अवधि के लिए स्कूलों से इस कॉलेज में लगाया गया है। अपील समिति ने अपने आदेश लिखा कि संस्थान 1998 से बीएड व 2000 से एमएड पाठयक्रम संचालित कर रहा है लेकिन इन पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षकों का न चयन किया गया व न ही नियुक्ति की गई। एक नियामक संस्थान द्वारा की गई यह टिप्पणी राजस्थान सरकार की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर चोट है।

जानकारी के अनुसार 24 अप्रैल 2012 से बीएड व एमएड पाठ्यक्रम को उच्च शिक्षा के अधीन कर दिया गया है। राजस्थान टीटी कॉलेज बीकानेर और अजमेर के सरकारी बीएड कॉलेज में अभी भी उच्च माध्यमिक स्कूलों का स्टाफ लगा हुआ है। अजमेर के सरकारी बीएड कॉलेज की अपील पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। विदित रहे कि एमएड पाठ्यक्रम की मान्यता पिछले साल ही खत्म कर दी गई थी। इस कारण पिछले साल में एमएड के प्रवेश नहीं हुए। जब इस मसले पर एक्सपर्ट से जाना तो सामने आया कि शिक्षा विभाग ने नया स्टाफ तो दोनों कॉलेजों में लगाया। लेकिन यह स्कूल शिक्षा विभाग का स्टाफ अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है।

एक्सपर्ट ने बताया कि एनसीटीई के मापदंड के अनुसार शिक्षकों के पद प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर के होने चाहिए व उनका चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय के नियमानुसार गठित चयन समिति के द्वारा होना चाहिए। इस अनिवार्य शर्त की पूर्ति यहां नहीं हो रही है। यही कारण है कि वर्ष 2023 से दोनों बीएड कॉलेजों के पास एनसीटीई की मान्यता नहीं है। न्यायालय में वाद के आधार पर पिछले साल बीएड पाठ्यक्रम में अभ्यर्थियों को प्रवेश मिला था। मान्यता वापसी के लिए हालांकि शिक्षा विभाग ने 10 मार्च को बीएड और एमएड पाठ्यक्रम के लिए दोनों सरकारी कॉलेजों में 68 शिक्षकों का अलग-अलग स्टाफ लगाया था। लेकिन यह स्टाफ केवल अस्थाई रूप से एक साल के लिए होने के कारण एनसीटीई ने शिक्षा विभाग की अपील को खारिज करते हुए मान्यता रद्द की है।

नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की ओर से इस साल पीटीईटी की परीक्षा 15 जून को करवाई जाएंगी। जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बीकानेर के सरकारी बीएड कॉलेज की मान्यता खत्म हो जाने के कारण अब यह कॉलेज पीटीईटी की काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाएगा। बीकानेर के सरकारी बीएड कॉलेज की मान्यता समाप्त होने से अब पीटीईटी परीक्षा के टॉपर स्टूडेंट्स को भी निजी कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। राज्य के 941 बीएड कॉलेजों में सरकारी कॉलेज सिर्फ दो ही है।